

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही पर इतिहासना जय

में विपक्षी सं 2,3 की तामिल डेखने व बहस हेतु नियत
दिनांक 23.7.24 को चेखा हो। आगामी दिनांक तक
जारी आस्थाई निषेधाज्ञा बढाई जाती है।

23.7.24

पजावली पेश डुरे वकील प्रार्थी अनुपस्थित,
प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता को फिती मर्तवा
रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी
उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी के अनुपस्थित रखने
से प्रार्थी का प्राप्पण अदम घजरी / अदम पैसी
में खारीज किया जाता है। दिनांक 4.5.18 को
जारी आस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है।
पजावली फैसल सुनार लेकर मन्तर से कम ही।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला मीलयाड़ा